कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या 21005/2019 महेन्द्र कुमार कौशिक बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगनादेश जारी किया गया था जिसकी अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.12.2019 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार कौशिक, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य (राउमावि हरिपुरा, चाकसू जिला जयपुर से राउमावि मोहकमपुरा, कुशलगढ जिला बाड़मेर) को माननीय न्यायालय के याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि हरिपुरा, चाकसू जिला जयपुर में एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित प्रधानाचार्य श्रीमती संगीता नरूका, को अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर में दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तदुपरान्त, श्रीमती संगीता नरूका, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा–मा/संस्था/बी–2/45002/एसबीसिया/गोपालसिंह/20280/2019 दिनांकः 24.12. 2019 द्वारा राउमावि थानावाड़, अकलेरा जिला झालावाड़ किया गया।

सिविल रिट पिटीशन संख्या 21005/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 22.01.2020 द्वारा याचिका को अन्तिम रूप से खारिज कर दिये जाने के उपरान्त विभागीय आदेश दिनांकः 29.09.2019 पुनः प्रभावी हो गया है.। उक्त आदेश के पुनः प्रभावी होने की स्थिति में श्री महेन्द्र कुमार कौशिक को राउमावि मोहकमपुरा, कुशलगढ जिला बांसवाड़ा में एवं श्रीमती संगीता नरूका, (एपीओ उपरान्त पदस्थापन स्थान–राउमावि थानावाड, अकलेरा जिला झालावाड) को राउमावि हरिपुरा, चाकसू जिला जयपुर में प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/महेन्द्र कौशिक/21005/2019 दिनांकः 27/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर संभाग, जयपुर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/बांसवाडा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/बांसवाडा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर